

2017 - 2018 ईक

निर्वाचनी का संघालन नियम, 1961  
(कनूनी नियम और आदेश)

प्रस्म 24क  
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रस्म आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन पूरा का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

- राजनैतिक दल का नाम : शक्ति सेना (भारत देश)
- राजनैतिक दल की प्रास्थिति (मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) : अमान्यता प्राप्त दल
- राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता : दिल्ली नगर, से. हा. 43, कांठल रोड, शिवपुरी, रायपुर (इ. ग.)
- निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख : 20/09/2009
- स्थायी खाता सं. (पेन) और वह आय-कर वार्ड/ सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल की जानी है : AAASA3942 रायपुर (इ. ग.)
- वित्तीय वर्ष 200 -200 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक है, यीरे

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की शीति (चेक/ ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
1	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
2					

\*चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

मैं, शक्ति सेना (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री शक्ति सेना से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रस्म में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, शक्ति सेना नामित राजनैतिक दल की ओर से शक्ति सेना की अपनी हेसियत में इस प्रस्म को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं।

तारीख : 10.1.2018

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

शक्ति सेना  
राष्ट्रीय अध्यक्ष  
शक्ति सेना (भारत देश)